55

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–12) विभाग

क्रमांक : प.9(2)गृह–12 / कारा / 2015 जयपुर,दिनांक 21 MAR 2016

महानिदेशक, कारागार,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– गंगापुर सिटी के स्थान पर सवाई माधोपुर में जिला कारागृह स्थापित करने के संबंध में।

सदर्भः– आपका पत्रांक स्थापना / 81039–40 दिनांक 18.03.2015 एवं 29982 दिनांक 27.08.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम मे निर्देशानुसार लेख है कि जिला कारागृह गंगापुर सिटी को उप कारागृह व उप कारागृह सवाई माधोपुर को जिला कारागृह घोषित करने के फलस्वरूप उक्त दोनो कारागृहों पर वर्तमान मे स्वीकृत पदों को निम्नानुसार पुनः निर्धारण की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती हैः–

जिला कारागृह, सवाईमाधोपुर–

क.स.	पदनाम	वर्तमान में स्वीकृत पद	पुर्ननिर्धारित पद
1.	उप अधीक्षक	-	01
2.	चिकित्साधिकारी	-	01
3.	मेलनर्स ग्रेड–II	-	01
4.	उप कारापाल	-	01
5.	सहायक कारापाल	01	01
6.	मुख्य प्रहरी	04	03
7.	प्रहरी	13	13
8.	लिपिक ग्रेड–I	-	01
9.	स्वीपर	-	01
	योग	**18**	**23**

उप कारागृह, गंगापुर सिटी –

क.स.	पदनाम	वर्तमान में स्वीकृत पद	पुर्ननिर्धारित पद
1.	उप अधीक्षक	01	-
2.	चिकित्साधिकारी	01	-
3.	मेलनर्स ग्रेड–II	01	-
4.	उप कारापाल	01	-
5.	सहायक कारापाल	01	01
6.	मुख्य प्रहरी	03	04
7.	प्रहरी	13	13
8.	लिपिक ग्रेड–I	01	-
9.	स्वीपर	01	-
	योग	**23**	**18**

यह स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि '' विभाग निर्णय के संदर्भ में किसी प्रकार के पदों की मांग नही करेगा एवं न ही उक्त निर्णय से कोई अतिरिक्त वित्तीय भार आयेगा।''

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–4) विभाग की आई.डी. संख्या 181501003 दिनांक 17.09.2015 द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर दी जाती है।

भवदीय,

(कृष्ण कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैः–

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा–प्रथम, द्वितीय), राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–4) विभाग ।
3. वित्तीय सलाहकार, कारागार विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. लेखाधिकारी (गृह–2) विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव